

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या..572../2023

आवेदक बिनोद सिंह पिता स्व० बबुनी सिंह, साकिन- आदर्श मुहल्ला वार्ड नं०-8, पोस्ट- कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा के द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
कोडरमा	333	94	4389	1 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 257../10../2023 को प्रस्तुत करें।

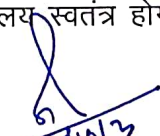

16/10/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता सं०-94, प्लॉट सं०-4388, रकबा-15 डी०, प्लॉट सं०-4389, रकबा-04 डी० कुल रकबा-19 डी० भूमि ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ संख्या-240, भाग संख्या-2 पर फागु सिंह वगै० के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में विविध वाद सं०-09/2023-24 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष-2023-24 तक निर्गत है। उक्त भूमि आवेदक को खतियानी भूमि है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-74, 75 दिनांक 21.08.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


16/10/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

06. पंजी 27 में संबंधित जमाबंदी की सत्यता की जाँच की गई एवं पाया गया कि:-

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया गया है:-

- 1) स्वतंत्रता की दृष्टांतरि ।
- 2) ऑनलाईन पंजी-11 / लगान रसीद की प्रति ।
- 3) शपथ-पत्र दि. 25, दि. 29-08-23 एवं 24, दि. 29/08/23 की प्रत प्रति ।

08. यदि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नहीं :- हाँ

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं :- हाँ

09. प्रश्नगत भू-खण्ड भू हदबंदी/भवन लीज या सरकारी सस्था की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 190 एवं इसके नियमों के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। नहीं

10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य :-

महाराज
मौजा-चौडरगा, बाना नं-333 अंतर्गत खता नं-94,
लॉट नं-4388, रकबा-15 डी, लॉट नं-4389 रकबा-04 डी,
कुल रकबा-19 डी की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी-11 के खत/भाग नं
240 में फागु सिंह वर्मा, पिता-रिशाल सिंह के नाम से दर्ज है। प्राक्किर्ण
कॉलम में अंमल खत/भाग नं-09/2023-24 दर्ज
है लगान रसीद वर्ष-2023-24 तक निर्गत है। उक्त भूमि रूखी खता की है
आप इश्टेसट में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर मौजा-चौडरगा के
खता नं-94, लॉट नं-4388, रकबा-04 डी भूमि मिशन योग्य है।

हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक

हस्ताक्षर

राजस्व कर्मचारी

नाम- अमित कुमार

हल्का संख्या- IV